प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 09.11.2026

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री सर्वेश कुमार*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 316/2026 धारा 115(2), 351(3), 352, 109(1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त विवेकानन्द राय पुत्र हरीराम राय निवासी वार्ड नं0 04 धोवहिया टोला नगर पंचायत बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 09.11.2026 को पिपरी तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद किया गया।

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण- वादी श्री हरीराम राय पुत्र स्व0 इन्द्रलाल राय निवासी वार्ड नं0 04 धोवहिया टोला नगर पंचायत बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 08.11.2026 को थाना बेलहरकला पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्त (वादी के पुत्र) द्वारा वादी के नाम से जमीन को अपने नाम लिखवाने को लेकर गली गलौज व जान से मारने की नीयत से वादी के गले पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
विवेकानन्द राय पुत्र हरीराम राय निवासी वार्ड नं0 04 धोवहिया टोला नगर पंचायत बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-
अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, का0 संतोष चौहान, का0 ओमप्रकाश चौरसिया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 122 वाहनों से 1,56,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 09.11.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 122 वाहनों से 1,56,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।